न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1 मुजफफरनगर।

09.05.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त लम्बे समय से गैर हाजिर है और अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा काफी प्रयास किये जा चुके हैं। प्रस्तुत वाद पुलिस रिपोर्ट पर आधारित समन मामला है और काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र {C.L.No.57/2oo7 Admn (G): Dated 13–12–2007} में धारा 258 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधान का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने पर बल दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा अपनी विधि व्यवस्था मूलचंद मोतीलाल राका बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996(1) Bom.CR 316 में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे मामले, जिनमें अभियुक्त काफी समय से गैर हाजिर है, में धारा 281 B.N.S.S. (258 सी0आर0पी0सी0) के प्रावधान का प्रयोग किया जा सकता है जिससे मामले का निस्तारण किया जा सकें।

उपरोक्त समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्याय संगत होगा कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही रोकी जाये।

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही रोकी जाती है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

(डा0 डी0एस0 फौजदार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं01, मुजफफरनगर।